जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांकः जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एण्ड पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 2003 दि. 14.10.09

आदेश

विषयः ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलु श्रेणी के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

"मुख्यमंत्री सबके लिये विद्युत योजना" में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलु कनेक्शन देने का प्रावधान है। यह योजना राज्य के बजट भाषण 2008–09 के अनुरूप तैयार की गई थी और समय–समय पर उक्त योजना में कुछ संशोधन भी किये गये हैं। यह योजना पहली बार आदेश क्र. 326 दिनांक 03.05.08 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/435) के द्वारा लागू की गई। तत्पश्चात इस योजना में कुछ संशोधन भी किये गये और इस बारे में जारी आदेश निम्नांकित है:–

1. आदेश क्र.405 दिनांक 03.05.08 (CO-VI)
2. आदेश क्र.1471 दिनांक 13.08.08 (जेपीआर 5–485)
3. आदेश क्र.1003 दिनांक 06.08.08 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/446)
4. आदेश क्र.1286 दिनांक 16.09.08 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/449)
5. आदेश क्र.2003 दिनांक 06.01.09 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/472)
6. आदेश क्र.2170 दिनांक 02.02.09 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/475)
7. आदेश क्र.668 दिनांक 05.06.09 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/498)

उक्त विषय में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री सबके लिये योजना में 5 के.वी.ए. क्षमता के सिंगल फेस ट्रांसफार्मर पर दिये जाने वाले नये कनेक्शनों के बारे में उचित निर्देश सम्मिलित किये जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि आदेश संख्या 1889 दिनांक 06.10.09 वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/511 के द्वारा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर पर अधिकतम घरेलु विद्युत कनेक्शनों की संख्या निर्धारित किये गये है। अधिकारियों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि उक्त आदेश मुख्यमंत्री सबके लिए योजनान्तर्गत लगने वाले 5 के.वी.ए. क्षमता के सिंगल फेस ट्रांसफार्मर पर भी लागू है या नही। अतः निर्देशानुसार, "मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना" में घरेलु कनेक्शनों को देने की प्रक्रिया एवं उसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार दिये जा रहे है :–

1. उन्हीं आवेदकों को कनेक्शन जारी किया जायेगा जो वर्तमान में स्थापित 11 के.वी. लाईन से अधिकतम 1 कि.मी. दूरी के अन्दर आते हों।
2. इस योजना के आवेदक एवं सामान्य घरेलु कनेक्शनों के आवेदकों की प्राथमिकता अलग–2 रखी जाये ताकि इस योजना के अन्तर्गत कनेक्शन शीघ्र दिये जा सकें।
3. इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर व सुदूर क्षेत्र के आवेदकों को भी शामिल कर लिया जावें।

4. इस योजना में ऐसी ढ़ाणियाँ जो कि नेशनल सर्वे–रिपोर्ट–2003 में चिन्हित नहीं हैं उनके आवेदन दिनांक 31.03.09 तक लिये जाने थे। इन आवेदकों के कनेक्शन वित्तीय वर्ष 2009–10 में कर दिये जावें।
5. नेशनल सर्वे रिपोर्ट–2003 में चिन्हित ढ़ाणियों के घरेलु कनेक्शनों के आवेदन पत्र 31.03.09 के पश्चात भी लिये जाने हैं और ये कनेक्शन 2009–10 में करना सुनिश्चित करें।
6. कम से कम 10 आवेदकों का समूह होने पर ही कनेक्शन दिये जायें। जनजाति / रेगिस्तानी जिलों में 6 आवेदकों को भी समूह माना जावें।
7. एल.टी. लाईन के लिए एल.टी. केबल की लम्बाई 1 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. प्रार्थना पत्र की राशि 200 रू. प्रति कनेक्शन होगी जो लौटाई नहीं जावेगी।
9. प्रत्येक आवेदक से कनेक्शन जारी करने हेतु मात्र रू 3500/– प्रति आवेदक लिये जायेंगे।
10. प्रत्येक समूह के लिए बनने वाली योजना की कुल लागत रूपये 2.50 लाख तक सीमित कर बनाई जावेंगी।
11. 100 से कम जनसंख्या वाली आबादी की ढ़ाणियों में यह योजना लागू होगी।
12. कनेक्शन देने में प्राथमिकता सबसे ज्यादा आवेदकों की संख्या वाले समूह को दी जावेगी।
13. उक्त योजना में 11 के.वी. लाइन, एल.टी. लाईन तथा उस पर किये जाने वाले खर्च में 20 प्रतिशत की छूट अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक द्वारा दी जा सकती है।
14. टी.एस.पी. (ट्राइबल सब प्लान) क्षेत्र में 50 तक की आबादी वाले छितराये हुए आवेदकों के लिए 3.0 कि.मी. (11 के.वी. एवं एलटी लाईन) एवं 50 से 100 के बीच आबादी वाले आवेदकों के लिए 5.0 कि.मी. (11 के.वी. एवं एलटी लाईन) मय उचित क्षमता के सबस्टेशन स्थापित कर विद्युतीकरण विस्तार कार्य किया जावें।
15. टी.एस.पी. क्षेत्र में रह रहे छितराये हुए आवेदकों से प्रार्थना पत्र की राशि 200 रू प्रति कनेक्शन ली जावें जो लौटायी नहीं जावेंगी।
16. भविष्य में 5 के.वी.ए. के सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों पर अधिकतम 4 कनेक्शन ही दिये जावें।
17. जहां पर 5 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर पर 5 या 5 से अधिक कनेक्शन दिये गये हैं उन्हें शनैः–शनैः, 10 के.वी.ए. सिंगल फेस ट्रांसफार्मर द्वारा बदलना हैं। इस हेतु अधीक्षण अभियन्ता (ओ. एण्ड एम.) द्वारा कार्यक्रम बनाना है।
18. यदि इस योजना में 5 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर पर 4 कनेक्शन देने के कारण एस्टीमेट की राशि 2.50 लाख से अधिक हो जाये तो इसकी स्वीकृति सम्भागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा दी जावेगी।

आज्ञा से

(एम.एल.त्रिपाठी)
उप मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है।

C:\Coml\ORDER512.doc